राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7 (572)परि/नियम/मु/2024/prototype/06637 दिनांकः

वाहन विनिर्माता/अधिकृत वाहन डीलर्स
..................समस्त।

विषयः– राज्य में वाहन पंजीयन हेतु विभाग से पंजीयन की स्वीकृति लिये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के प्रावधानों के अनुसार वाहन निर्माता कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय जांच एजेन्सियों से वाहन की जांच करवाकर प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है। इस प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन निर्माता/डीलर्स को राज्य में पंजीयन हेतु पृथक से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक था।

इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऐसे वाहन जिनका डेटा होमोलोगेशन पोर्टल के द्वारा VAHAN 4.0 पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, को राज्य में पंजीयन हेतु पृथक से पंजीयन की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। उक्त संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2024 को कार्यालय आदेश 3/2024 जारी कर निर्देश प्रदान किये गये। अतः विभाग द्वारा पंजीयन की स्वीकृति लिए जाने हेतु किये गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कुसुम राठौड़)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांकः एफ 7 (572)परि/नियम/मु/2024/prototype/06637 **दिनांकः**

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
4. अध्यक्ष, Federation of Automobile Dealers Association.
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

RajKaj Ref
7770942

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusum Rathore
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2024.06.07 18:08:11 IST
Reason: Approved